कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/ नियुक्ति/ आरपीएससी–15 / 2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से व्याख्याता हिन्दी के पद पर चयनोपरान्त श्री मनोज कुमार मेरिट सं. 2202 का काउसंलिग के द्वारा पदस्थापन व्या. हिन्दी के पद पर राउमावि ओरिया, आबूपर्वत– सिरोही में पदस्थापन किया गया था।

श्री मनोज कुमार के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/ आरपीएससी–15/2015 दिनांक 22.06.2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 11749/2018 दायर की गई। जिसमे याची ने गुहार कि उससे कम मेरीट कमांक वाले अभ्यार्थियो का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया गया जबकी याची को उसके गृह जिले गंगानगर में पदस्थापन नही मिला याची ने उसके गृह जिले में पदस्थापित किये जाने की मांग की है । जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित निर्णय दिनांक–30.05.18 के द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निरतारण का निर्देश दिया। याचिका के निर्णय की अनुपालना में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

याची के अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर याची द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउसंलिग के माध्यम से किया गया । काउसंलिग के लिये रिक्त पदो का निर्धारण विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकतानुसार किया जाता है । याची को उसकी काउसंलिग वरीयताकमांनुसार पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करने का अवसर दिया गया । जिसके कम में याची ने राउमावि ओरिया, आबूपर्वत– सिरोही का चयन किया और सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया । व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय का है । जहां तक मंजु अग्रवाल के प्रकरण का संबंध है यह आवश्यक नही है कि पुरूष और महिला के पदस्थापन की वरीयता समान हो । याची का पदस्थापन राउमावि ओरिया, आबूपर्वत– सिरोही किया गया जहां याची ने कार्यग्रहण कर लिया है

अतः याची मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

सभी संबधित सूचित हों ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/मनोज कुमार – 11749–2018/2018 दिनांक– 13.8.18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर